

(25-26)

(प्रथम चरण)

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र आगरा।

प्रबन्धक/प्र0अ0,

विद्या इंटरनेशनल स्कूल,

फाउण्डेशनगर आगरा।

पत्रांक/7054-55 /2024-25/

दिनांक:- 27/12/24

विषय:- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑन लाइन प्रवेश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक महानिदेशक महोदय स्कूल शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक/आर0टी0ई0/न0प्र0-02/5623/2024-25 दिनांक 18.09.2024 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में मान्यता प्राप्त न्यूनतम कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश के लिये प्रथम चरण के आवेदकों में से दिनांक 24.12.2024 को निकाली गयी लाटरी के माध्यम से अर्ह बच्चों की प्रवेश हेतु सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय आगरा द्वारा अपने पत्रांक/5752-58/2024-25 दिनांक 26.12.2024 द्वारा प्राप्त कराते हुए चयनित बच्चों का एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रवेश कराते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र में अंकित बच्चों का ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों का अवलोकन करते हुए प्रत्येक दशा में प्रवेश सुनिश्चित कर कृत कर्तव्यवाही से अद्योहरताक्षरी को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें एवं अद्योहरताक्षरी कार्यालय के ई-मेल आई0डी0 nsa.agra1@gmail.com गेल पर भी सूचना प्रेषित कर सकते हैं। पत्र को वरीयता प्रदान करें इसमें किसी प्रकार का विलम्ब न किया जायें।

100524

SHIVANSH
PACHAURI

(सुमित कुमार सिंह)
खण्ड शिक्षा अधिकारी
नगर क्षेत्र, आगरा।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय की सेवा में आपके पत्रांक/5752-58/2024-25 दिनांक 26.12.2024 के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

2-सम्बन्धित अभिगावक।

खण्ड शिक्षा अधिकारी
नगर क्षेत्र, आगरा।